**दिनांक 16.02.2024**

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज सं0 61ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रश्मि रावत प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज सं0 62ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह पुण्डीर प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत।

2. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत वाद मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल में निर्दिष्ट किया गया था, तथा आज मध्यस्थ की आख्या/अग्रिम आदेश हेतु नियत है। मध्यस्थ श्री राजकुमार बत्रा के द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत करी गयी। पत्रावलित हो।

4. मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत उक्त आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत मामले में मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 08.01.2024, 16.01.2024, 17.01.2024, 19.01.2024, 06.02.2024, 09.02.2024 एवं 16.02.2024 को मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु प्रयास किया गया। परन्तु मध्यस्थ की आख्या के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही असफल होने के कारण मामले को वापस न्यायालय में प्रेषित किया गया है। हस्तगत मामले में मध्यस्थ की आख्या के अनुसार पक्षकारगण के द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही में रूचि नहीं ली जा रही है। अतः हस्तगत मामले के तथ्यों एवं मध्यस्थ द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत मामले को मध्यस्थता की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से लंबित रखने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार हस्तगत वाद की कार्यवाही को अग्रसारित किया जाता है।

5. पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 दिनांक 27.02.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौडी
पौड़ी गढ़वाल।